न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी एल0आर0गुगरवाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या 18/2017 खाद्य सुरक्षा

उनवान प्रकरण

सरकार जरिये संजय सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाडा	**बनाम**	1. श्री दीपक कुमार श्यामनानी पुत्र श्री कैलाशचन्द्र श्यामनानी, विक्रेता/मालिक मैसर्स दिनेश ऐसेन्स स्टोर्स, 55 नागौरी गोर्डन भीलवाडा स्थाई पता – म. सं. एक्टेशन 115, सुभाष नगर भीलवाडा।
– प्रार्थी		**––विपक्षी**

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा 51 व 52

उपस्थित–

1 श्री संजय सिह खाद्य सुरक्षा अधिकारी भीलवाडा

2 विपक्षी स्वयं उपस्थित

दिनांक 27.04.2017

आदेश

शासन उप सचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प–1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उप धारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुये जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षैत्र के लिये न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा ने विपक्षी के विरूद्ध एक प्रकरण इस आशय का प्रस्तुत किया है कि विपक्षी श्री दीपक कुमार श्यामनानी पुत्र श्री कैलाशचंद्र श्यामनानी, विक्रेता/मालिक मैसर्स दिनेश ऐसेन्स स्टोर्स, 55 नागौरी गोर्डन भीलवाडा पर निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विकय बाबत् फूड कलर, कस्टर्ड पाउडर, पपाया प्रिजर्व इत्यादि का विकय कर रहा था एवं विकय हेतु अपने पास रखे हुए था। मैसर्स दिनेश ऐसेन्स स्टोर्स, 55 नागौरी गोर्डन भीलवाडा का निरीक्षण करने पर पाया गया कि पपाया प्रिजर्व प्रोसेस फ्रूट (ब्राण्ड – टूटी फ्रूटी मास्टर) के 400–400 ग्राम पौलिथिन पैक के 100 पैकेट रखे हुये थे। एक पैकेट को ध्यान से देखने पर Brand Name : Tooti Fruity Master. Batch No. 01, Date of MFG/PKG APR 16, Best Befor 6 Month Date of Package Green Symbol Present MFG By Master Foods, Master Farm House, Opp. Kisssan Nursery Bansali, Puskar – 305022, Dist. Ajmer, Rajasthan, इत्यादि अंकित था। मौके पर रखे पपाया प्रिजर्व (ब्राण्ड – टूटी फ्रूटी मास्टर) में मिलावट एवं मिस ब्राण्ड का शक होने पर एफएसएस एक्ट 2006 के तहत उल्लेखित प्रावधानों के अंतर्गत खाद्य नमूना वास्ते जाँच हेतु लेने की सूचना खाद्य कारोबारकर्ता को फार्म V-A में दी एवं रसीद प्राप्त की। नियमानुसार पपाया प्रिजर्व प्रोसेस फ्रूट (ब्राण्ड – टूटी फ्रूटी मास्टर) का नमूना लेकर वास्ते जाँच हेतु नियमानुसार खाद्य प्रयोगशाला अजमेर

को भिजवाया । बाद जाँच नमूना सब स्टैण्डर्ड व मिस ब्राण्डेड होना पाया गया। न्याय निर्णयन आवेदन पेश करने हेतु प्राधिकृत करने हेतु स्वीकृति प्राप्त कर प्रार्थी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने आवेदन पत्र के साथ न्याय निर्णयन आवेदन, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य क्षैत्र नोटिफिकेशन की प्रति, पदस्थापन आदेश की प्रति, फार्म **5-A** की प्रति,रसीद नमूना खरीद मूलप्रति, मौका फर्द प्रति, खाद्य लाईसेंस की छायाप्रति, खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को वास्ते जाँच जमा करवाने के प्रेषित पत्र एवं नमूना जमा होने की प्राप्ति रसीदे, फॉर्म–6 मेमोरेण्डम, खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा प्राप्त नमूना जाँच रिपोर्ट मय कार्यालय पत्र, फर्म के खाद्य लाईसेंस प्रस्तुत करने बाबत प्रेषित पत्र एवं प्राप्त प्रति उत्तर, अभिहित अधिकारी को पत्रावली पेश करने तथा आवेदन फाईल करने बाबत लिखे गये पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई।

न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 22. 05.2016 को समय 01:30 PM बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी दौराने गश्त चैकिंग हेतु मैसर्स दिनेश ऐसेन्स स्टोर्स, 55 नागौरी गोर्डन भीलवाडा पर पहुंचा। आवेदक द्वारा विकेता को परिचय दिया परिचय पत्र दिखाया एवं विकेता का परिचय लिया इस समय दुकान पर विकेता की हैसियत से श्री श्री दीपक कुमार श्यामनानी पुत्र श्री कैलाशचंद्र श्यामनानी उम्र 42 वर्ष, जाति श्यामनानी, निवासी – म. सं. एक्टेशन 115, सुभाष नगर भीलवाडा उपस्थित था एवं आम जनता को फूड, कलर, मस्टर पाउडर, पपाया प्रिजर्व इत्यादी का निर्माण कर आम जनता को विकय कर रहे थे। मौके पर विकेता द्वारा खाद्य लाईसेन्स की प्रति प्रस्तुत कि गई।

मौके पर पपाया प्रिजर्व प्रोसेस फ्रूट (ब्राण्ड – टूटी फ्रूटी मास्टर) के 400–400 ग्राम पौलिथिन पैक के 100 पैकेट रखे हुये थे। एक पैकेट को ध्यान से देखने पर Brand Name : Tooti Fruity Master. Batch No. 01, Date of MFG/PKG APR 16, Best Befor 6 Month Date of Package Green Symbol Present MFG By Master Foods, Master Farm House, Opp. Kisssan Nursery Bansali, Puskar – 305022, Dist. Ajmer, Rajasthan, इत्यादि अंकित था। मौके पर रखे पपाया प्रिजर्व (ब्राण्ड – टूटी फ्रूटी मास्टर) में मिलावट एवं मिस ब्राण्ड का शक होने पर एफएसएस एक्ट 2006 के तहत उल्लेखित प्रावधानों के अंतर्गत खाद्य नमूना वास्ते जाँच हेतु लेने की सूचना खाद्य कारोबारकर्ता को फार्म V-A में दी एवं रसीद प्राप्त की।

मौके पर गवाह व विकेता की उपस्थिति में पपाया प्रिजर्व (ब्राण्ड – टूटी फ्रूटी मास्टर) के 400–400 ग्राम के Batch No. 01, के 8 पैकेट पैक्ड हालत में खाद्य कारोबारकर्ता से खरीदे एवं इस बाबत् 160/–रू अक्षरे एक सौ साठ रूपये मात्र नकद देकर रसीद प्राप्त की। इस खरीद शुदा आठ पैकिटों को चार बराबर – बराबर भागों में विभाजित किया। चारों नमूना भागों के लिए लेबल नियमानुसार लेबल भर कर उन पर श्रीमान् अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) के कोड एवं क्रमांक एक्स–131 दर्ज कर विक्रेता, गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर व मैनें स्वयं ने हस्ताक्षर कर प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाये। प्रत्येक नमूना भाग को अलग–अलग मोटे खाकी कागज में लपेट कर दोनों सिरों को मोडकर गोंद से चिपकाऐं । प्रत्येक नमूना भाग पर श्रीमान् अभिहित अधिकारी डॉ. जगदीश चन्द्र जीनगर के हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लीप कोड व कम संख्या एक्स–131 को नियमानुसार उपर से लेकर नीचे व नीचे से लेकर उपर तक अच्छी तरह गोंद से चिपकाकर मोटे मजबूत धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भागों पर नमूने का विवरण अंकित कर सभी के हस्ताक्षर करवाये। नियमानुसार मौका फर्द तैयार की गई। लिये गये खाद्य नमूना संख्या एक्स 131 को खाद्य प्रयोगशाला अजमेर भिजवाया गया। शेष बचे भागों को नियमानुसार अभिहित अधिकारी को जमा करावाया गया।

खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से जाँच रिर्पोट सं. L.S.347/ACT/2016/397 दिनांक 02.06.2016 के अनुसार विक्रेता से वास्ते जाँच हेतु लिया गया खाद्य नमूना, पपाया प्रिजर्व (ब्राण्ड – टूटी फ्रूटी मास्टर) निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण सब स्टेण्डर्ड (SUB STANDARD) व मिस ब्राण्डेड (Misbranded) होना पाया गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्याय निर्णयन आवदेन पेश करने हेतु प्राधिकृत करने बाबत अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा को में पेश किया।

जिस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा प्रार्थी को अधिकृत किया और आदेश दिया कि इस प्रकरण से सम्बन्धित मूल कागजात एवं सम्बन्धित कारोबारकर्ता को नियम 2.4.6(1) के तहत प्रस्तुत रजिस्टर्ड पत्र एवं रजिस्टर्ड डाक की पोस्टल रसीद भी मूल प्रति सहित न्याय निर्णयन आवेदन के साथ प्रस्तुत कर अंकित किया है कि विपक्षी संख्या 01 श्री दीपक कुमार श्यामनानी पुत्र श्री कैलाशचंद्र श्यामनानी विक्रेता/मालिक मैसर्स दिनेश ऐसेन्स स्टोर्स, 55 नागौरी गोर्डन भीलवाडा विक्रेता व विपक्षीगण 1, द्वारा सब स्टैण्डर्ड व मिस ब्राण्डेड पपाया प्रिजर्व (ब्राण्ड – टूटी फ्रूटी मास्टर) का विक्रय कर एफएसएस की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51 व 52 में निर्धारित है। खाद्य नमूना निर्धारित मानक कोटि का नही होने के कारण इस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा के पत्र द्वारा प्रार्थी को न्याय निर्णयन अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में 07.03.2017 को प्रकरण प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 07.03.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 17.04.2017 को कार्यालय हाजा में स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। मामले में आज विभागीय पैरोकार उपस्थित । विपक्षी स्वयं उपस्थित है।

विपक्षी की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया । विपक्षी ने अपने जवाब में बताया कि लिये गये खाद्य नमूने का क्रय बिल उनके पास उपलब्ध नहीं है एवं किसी दुकान के बंद होने पर कोई अन्य दुकानदार वास्ते विक्रय हेतु इनके पास रख गया था। भविष्य में इस प्रकार की गलती नहीं करने हेतु निवेदन किया गया।

विभागीय पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि विपक्षी का खाद्य नमूना पपाया प्रिजर्व (ब्राण्ड – टूटी फ्रूटी मास्टर) सब स्टैण्डर्ड व मिस ब्राण्डेड होना पाया गया है । **प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार Total Soluble solids, की निर्धारित मात्रा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत 65 प्रतिशत होनी चाहिए, जबकि लिये गये खाद्य नमूने में निर्धारित मात्रा से कम मात्रा में 47.12 प्रतिशत ही पाई गई। इसलिए लिया गया नमूना सब–स्टेण्डर्ड होना पाया गया।** साथ ही लेबल पर प्रमिटेड सिन्थेटिक फूड कलर का प्रयोग करना बताया गया । जबकि खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) नियम 2011 के नियम संख्या 2.2.2.5 के अनुसार स्पेस्फिक नाम और रिकोग्नाईजड इन्टरनेशनल न्यूमेरिकल नं. देना आवश्यक है। इसलिए लिया गया नमूना मिस ब्राण्डेड होना भी पाया गया है। अतः विपक्षीगण सं. 01 द्वारा सब स्टैण्डर्ड व मिस ब्राण्डेड पपाया प्रिजर्व (ब्राण्ड – टूटी फ्रूटी मास्टर) का विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51 व 52 में निर्धारित है। प्रार्थी की ओर से न्याय निर्णयन आवेदन पत्र विपक्षीयों के विरूद्ध जुर्माना आरोपित करते हुये आवेदन पत्र का निर्णय कराने की प्रार्थना की है। खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा नमूना लिये जाने वाली फर्म को

रजिस्टर्ड पत्र मय जाँच रिपोर्ट प्रेषित करते हुये पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के समय देते हुये नोटिस दिया गया , किन्तु नमूना लिये जाने वाली फर्म द्वारा जाँच रिपोर्ट के खण्डन में किसी भी प्रकार की अपील हेतु आवेदन नहीं किया गया जिससे प्रतीत होता है कि विपक्षीगण जाँच रिपोर्ट से संतुष्ट है ।

विभागीय पैरोकार की बहस सुनी गयी । पत्रावली एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । विपक्षी द्वारा प्रस्तुत जवाब को पढ़ा गया। उक्त जवाब में विपक्षी ने जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया कि लिये गये खाद्य नमूने का क्रय बिल उनके पास उपलब्ध नहीं है एवं किसी दुकान के बंद होने पर कोई अन्य दुकानदार वास्ते विक्रय हेतु इनके पास रख गया था। भविष्य में इस प्रकार की गलती नहीं करने हेतु निवेदन किया गया। विभागीय पैरोकार ने उक्त प्रेषित जवाब के प्रति उत्तर में बताया कि **विपक्षीगण सं. 01 द्वारा सही क्रय बिल नही लेकर सब स्टेण्र्डड व मिस ब्राण्डेड पपाया प्रिजर्व (ब्राण्ड – टूटी फ्रूटी मास्टर) का विक्रय कर एफएसएस की धारा 26 की** उपधारा 2 **(ii) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51 व 52 में निर्धारित है।** अतः विपक्षीगण सं. 01 पर जुर्माना अध्यारोपित किया जाये।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विपक्षी श्री दीपक कुमार श्यामनानी पुत्र श्री कैलाशचंद्र श्यामनानी विक्रेता/मालिक मैसर्स दिनेश ऐसेन्स स्टोर्स, 55 नागौरी गोर्डन भीलवाडा, ने सब स्टैण्डर्ड व मिस ब्राण्डेड पपाया प्रिजर्व (ब्राण्ड – टूटी फ्रूटी मास्टर) का विक्रय करने के लिये दोषी है । **इस प्रकार विपक्षीं द्वारा सब स्टैण्डर्ड व मिस ब्राण्डेड पपाया प्रिजर्व (ब्राण्ड – टूटी फ्रूटी मास्टर) का विक्रय किया है जो कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन है एवं जिसकी सजा धारा 51 व 52 में वर्णित है । इस कृत्य के लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 व 52 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है।**

उपरोक्त प्रावधान को मध्यनजर रखते हुये विपक्षी को अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुये खाद्य मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का विपक्षी द्वारा उल्लघंन करने एवं अपराध कारित होने के फलरूवरूप उक्त अघिनियम की धारा 51 व 52 के अन्तर्गत विपक्षी पर 25000/–रूपये (अक्षरे पच्चीस हजार रूपये) शास्ति आरोपित की जाती है। विपक्षी उपरोक्त शास्ति निर्णय दिनांक के 03 माह के अन्दर कैशियर जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में जमा करा कर रसीद प्राप्त करे।

निर्णय आज दिनांक 27.04.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/04/17

(एन0आर0गुगरवाल)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006) भीलवाड़ा (राज.)

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है–

1 खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक(जनस्वास्थ्य)चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐ राजस्थान जयपुर
2 अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा
3 कैशियर, जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा
4 श्री दीपक कुमार श्यामनानी पुत्र श्री कैलाशचंद्र श्यामनानी, विक्रेता/मालिक मैसर्स दिनेश ऐसेन्स स्टोर्स, 55 नागौरी गोर्डन भीलवाडा स्थाई पता – म. सं. एक्टेशन 115, सुभाष नगर भीलवाडा।

27/04/17

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट
भीलवाडा

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006) भीलवाड़ा (राज.)